Phone: 0120-4952292
Website: https://mmhcollegeghaziabad.com

M.M.H.COLLEGE

(Affiliated to Ch. Charan Singh UNIVERSITY, MEERUT)
West Model Town, GT Road, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India-201001

Ref. No. .....

Date 19/X/2024

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के नियमानुसार एन0ई0पी0 योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एससी0(बायो0, गणित एवं शारीरिक शिक्षा) के ऐसे समस्त छात्र–छात्रा जिनकी किसी कारणवश प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के किसी विषय में बैक आयी थी और बैक परीक्षा देने के उपरान्त भी किसी कारणवश पुनः अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित हो गये है, ऐसे समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आप उक्त प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विषय की पुनः बैक परीक्षा कमशः पंचम एवं षष्ठ्म सेमेस्टर के साथ नहीं दे सकते है, ऐसे छात्र षष्ठ्म सेमेस्टर की परीक्षाओं के उपरान्त ही री–बैक अथवा बैक परीक्षा का फार्म भरकर विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा हेतु अर्ह होंगे (विश्वविद्यालय नियम की प्रति संलग्न है)।

19/10/24

(प्रो0 संजय कुमार सिंह)
प्राचार्य (कार्यवाहक)
PRINCIPAL
M.M.H. COLLEGE
GHAZIABAD

4.10 चूंकि पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक पेपर में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5. <u>काल अवधि</u>

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्याः– (Explanation) यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. SGPA एवं CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगीः–

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर: Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगाः

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगीः

तालिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

6.4 SGPA & CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये पेपर्स के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

7. शोध परियोजना के विषय में निर्णय :–

समिति ने स्नातक स्तर तृतीय वर्ष में किये जाने वाले लघु शोध प्रबन्ध के विषय में शासनादेश दिनांक 13.07.2021 के आलोक में निम्न सुझाव दिये :–

1. स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में मिलाकर एक लघु शोध परियोजना करनी होगी।
2. यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग/इण्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
3. शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

क्रमशः.....04